न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 16/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00032

प्रार्थी :–

चुन्नीलाल पुत्र खीमाजी जाति चौधरी निवासी जीवन्दकला तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. शंकरदास पुत्र केवलदास जाति वैष्णव निवासी जीवन्दकला तहसील रानी जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत जीवन्दकला तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश मकवाना।

–: निर्णय :–

दिनांक : 6.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत जीवन्दकला, द्वारा अप्रार्थी शंकरदास पुत्र केवलदास के पक्ष में जारी विक्रय विलेख संख्या 314 दिनांक 20.08.1991 को निरस्त कराने बाबत पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का ग्राम जीवन्दकलां में स्वंय का एक आवासीय मकान आया हुआ है, जिसके पुर्व दिशा में रास्ता व दरवाजा, पश्चिम में जगाराम पुत्र आसाजी का मकान, उत्तर में नदी तथा दक्षिण में मुकनाराम का मकान आया हुआ है। मकान का नाप 70 बाई 42 फीट कुल 2940 वर्गफीट है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा प्रस्ताव संख्या 6(9) दिनांक 08.12.2004 की पालना में पटटा संख्या 4749 नियम 157(क,ख) के तहत जारी किया है। जिसके पूर्व दिशा में पिछले पन्द्रह वर्षो से आम रास्ता होने से सी.सी. रोड एवं नाली बनी हुई है। जिस पर प्रार्थी ने मकान का दरवाजा खोल रखा है। प्रार्थी के मकान के पूर्व दिशा की ओर आम सडक पर अप्रार्थी ने गैर कानुनी अतिक्रमण कर रास्ते की भुमि पर कब्जा कर ग्राम पंचायत से मिलि भगत कर पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर निःशुल्क जैर निगरानी पट्टा जारी करवा लिया है। ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर रास्ते की भुमि का पट्टा जारी कर दिया जिस पर विकास अधिकारी या तहसीलदार के हस्ताक्षर नही होने से ग्राम पंचायत जीवंदकला द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के लिए अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष अपने कब्जाशुदा भुखण्ड 30 बनाई 45 फीट का निःशुल्क पट्टा जारी करने हेतु विधिवत आवेदन पेश किया। अप्रार्थी सीमांत कृषक है एवं मजदुरी का कार्य करता है। जिससे ग्राम पंचायत में निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने का हक अधिकार रखता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियमों की पालना में निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने की शर्तो को पूर्ण करता है। जिसके संबध में पटवारी/ग्राम सेवक द्वारा उक्त जैर निगरानी पट्टे के संबध में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पास जैर निगरानी भुखण्ड/मकान के अलावा अन्य कोई भुखण्ड/मकान नही है। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत/आवंटन अधिकारी ने जैर निगरानी पट्टा जारी किया। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय आवंटन अधिकारी ने पंचायती राज नियमों की विधिवत पालना करते हुए पट्टा धारक को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधि अनुसार एवं राजस्थान राज अधिनियमों के अनुसार होने से जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

हमने विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 शंकरदास पुत्र केवलदास को 1260 वर्गफीट क्षेत्रफल के भूमखण्ड का निःशुल्क आवंटन करते हुए पट्टा संख्या 314 दिनांक 20.08.1991 को जारी किया गया है। तत्समय प्रभावी राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के अन्तर्गत "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कारीगरों लघु व सीमान्त कृषकों इत्यादि वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वयं के कोई आवासीय गृह/स्थल उपलब्ध नहीं हो को 1350 वर्गफीट भूमि का आवासीय उपयोग हेतु निःशुल्क आवंटन किया जा सकता था।"

इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह पाया कि जैर निगरानी पट्टे के लिए अप्रार्थी शंकरदास ने स्वयं को सीमान्त कृषक का सदस्य एवं व्यवसाय मजूदरी करना बताते हुये प्रशासक ग्राम पंचायत जीवन्दकलां के समक्ष आवासीय भू–आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र की जांच समीक्षा पटवारी/ग्राम सेवक से करवायी गयी जिसके अनुसार शंकरदास सीमान्त कृषक परिवार का सदस्य है। शंकरदास के अलावा इसके आश्रितों के पास आवासीय भू–खण्ड अथवा आवास गृह उपलब्ध नहीं है। जिसकी पालना में आवंटन अधिकारी/प्रशासक ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा अप्रार्थी को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 को विधिवत निःशुल्क भूखण्ड आवंटन कर निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का पट्टा संख्या 314 दिनांक 20.08.1991 को जारी किया गया है।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रशासक को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज/न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी शंकरदास को ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी शंकरदास के पास स्वंय का कोई आवासीय गृह या आवासीय स्थल उपलब्ध हो अर्थात्

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी शंकरदास निःशुल्क भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता हो। प्रार्थी पक्ष ने ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी शंकरदास ने उक्त पट्टा संख्या 314 दिनांक 20.08.1991 में अंकित शर्तों का उल्लंघन किया हो।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा अप्रार्थी शंकरदास पुत्र केवलदास के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 314 दिनांक 20.08.1991 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 6/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली